दिनांक	आज्ञा पत्र
6/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 16/11-23 को पेश हो।
16/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 14/12-23 को पेश हो।
14/12/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/12/23 को पेश है।
18/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी द्वारा आवेदन प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5 व 9 का नाम हजफ करने का पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति करने पर वादी का आवेदन नाम हजफ करने का स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली में वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा उभयपक्ष सुने। जिस पर वकील वादी द्वारा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने में सहमति जाहिर की। अतः वकील वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी- सीकर

PD. के अनुसार ED [illegible] नहीं होने मुझ [illegible] कोई आपत्ति नहीं है [illegible] पहला [illegible] प्रतिवादी 6, 8 व 10 की ओर PD व FD पर कोई आपत्ति नहीं है

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :– 132/2014

1. शैतान उर्फ सुल्तान पुत्र हेमा जाति बलाई निवासी ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर

वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र गोरू
2. रामकुमार (मृत)
2/1 छोटी देवी पत्नी रामकुमार
2/2 भंवरलाल पुत्र रामकुमार
2/3 इन्द्रपाल पुत्र रामकुमार
2/4 कैलाश पुत्र रामकुमार
3. झूंथा पुत्र हेमा
4. धूडा पुत्र हेमा
5. फूली देवी पत्नी श्योबक्सा
6. रामधन पुत्र श्योबक्सा
7. बेदू पुत्र श्योबक्सा
8. सीताराम पुत्र श्योबक्सा
9. प्रधान पुत्र श्योबक्सा
10. परमेश्वर पुत्र श्योबक्सा
11. सुरेश पुत्र बीरबल

समस्त जाति बलाई निवासी जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर

12. उपपंजीयक सीकर
13. तहसीलदार सीकर
14. रामस्वरूप पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

प्रतिवादीगण

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव कमांकः– भू.अ./2023/1960 दिनांक 25.05.2023 के अनुसार वकील वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 को बेचान कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के रूप में पहले से ही वारीसान है जिनमें से प्रतिवादी संख्या 9 की भी अविवाहित फौत हो चुकी है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा बेचान करने से उनका नाम खाते से हजफ किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 9 की मृत्यु होने के कारण उनका नाम भी खाते से हजफ किये जाने में वकील प्रतिवादी द्वारा सहमति देने के कारण उनका नाम भी हजफ किया जाता है। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	14.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
.... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस	12.00	कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल			
जोड़	64.00	जोड़	36.00

उपखण्ड अधिकारी- सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर